


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./आर- 1030/2025/ दिनांक :

—:आदेश:—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर ने पत्रांक 399 दिनांक 31.05.2025 द्वारा की गयी अभिशंभानुसार डॉ० रागिनी अग्रवाल अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर की आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियाँ सामान्य वित्त एवं लेखा नियम-3 क के अंतर्गत अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक प्रदान की जाती है।



(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./आर- 1030/2025/ 59

दिनांक : 03/02/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को उनके पत्रांक 399 दिनांक 31.05.2025 के क्रम में।
4. संबंधित कोषाधिकारी/उप कोष कार्यालय।
5. डॉ० रागिनी अग्रवाल अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
7. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।